भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **858**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी और यूरिया उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

858. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीएपी और यूरिया उर्वरकों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) क्या इन उर्वरकों के उत्पादन में कोई कमी आई है; और
(ग) यदि हां, तो उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों में, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत, प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी तय की जाती है और उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को पीएंडके उर्वरकों के लिए वार्षिक/द्वि-वार्षिक आधार पर एनबीएस दरों को तय करते समय शामिल किया जाता है। खरीफ 2024 के दौरान, डीएपी के संबंध में प्रति मीट्रिक टन सब्सिडी ₹21676 थी जबकि रबी 2024-25 के दौरान, डीएपी के संबंध में प्रति मीट्रिक टन सब्सिडी ₹21911 तय की गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किए हैं। 2024-25 में, सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने और देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए ₹ 2625 करोड़ के अनुमानित वित्तीय निहितार्थ के साथ पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को ₹ 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।

किसानों को यूरिया की उत्पादन लागत पर ध्यान दिए बिना सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया के 45 किग्रा बोरी की सब्सिडी प्राप्त एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी है (नीम लेपन के प्रभार और लागू करों को छोड़कर)। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने हेतु एक विशेष नीति का भी अनुमोदन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन 2014-15 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए तक बढ़ा है। इन उपायों से यूरिया उत्पादन 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी हो गया है।

फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों (पीएण्डके) के मामले में, कंपनियां अपनी कारोबार के उतार - चढ़ाव के अनुसार उर्वरक के कच्चे माल, मध्यवर्ती और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुरोधों के आधार पर, विनिर्माण को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई विनिर्माण इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि को मान्यता दी गई है/रिकॉर्ड में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, शीरे (पीडीएम) से प्राप्त पोटाश, जो 100% स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक है, को बढ़ावा देने के लिए इसे 13.10.2021 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, एसएसपी पर मालभाड़ा सब्सिडी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को खरीफ 2022 से लागू किया गया है ताकि मृदा को फॉस्फेटयुक्त या "पी" पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। इन उपायों से पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन में वर्ष 2014-15 के 159.54 एलएमटी से वर्ष 2023-24 में 182.85 एलएमटी तक की वृद्धि हुई है।

****